न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी—देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

नामा0 अपील सं0 02/2024

जयराम पुत्र रामकिशन जाति गुर्जर निवासी कोलेश्वर कलां तहसील सैंथल जिला दौसा
..अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा
..रेस्पो0

अपील विरुद्व नामान्तरण सं0 77 दिनांक 28.12.2001 द्वारा तस्दीक तहसीलदार दौसा

उपस्थित—1. श्री मनोहर मुदगल, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से
2. श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता,

निर्णय दिनांकः04.12.2024

1. संक्षिप्त वृतांत अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार, दौसा ने दिनांक 18.12.2001 को ग्राम कोलेश्वर कलां का नामान्तरण सं0 77 गैर खातेदारी का तस्दीक कर दिया गया। इसी नामान्तरण आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. सर्वप्रथम दफा 5 कानून मियाद के प्रार्थना पत्र पर बहस अधिवक्तागण की सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट्स ने दफा 05 मियाद कानून के बिन्दु पर बहस में कथन किया कि अपीलांट राजस्व रिकार्ड से अनभिज्ञ है जिसको राजस्व रिकार्ड के संबंध में जानकारी करने की आवश्यकता ही नहीं पडी और न ही तहसीलदार दौसा ने नामान्तरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया। दिनांक 2.1.2024 को पटवारी हल्का से वर्तमान जमाबंदी की नकल प्राप्त की जब अपीलांट को जानकारी हुई कि पटवारी हल्का द्वारा जो नामान्तरण खोला गया है उसमें जयराम पुत्र रामकिशन के स्थान पर राजाराम पुत्र रामकिशन अंकित हो रहा है। इस पर अपीलांट ने दिनांक 4.1.2024 को उक्त नामान्तरण की नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसकी नकल दिनांक 9.1.2024 को प्राप्त हुई। इसलिए उक्त अवैधानिक नामान्तरण के विरूद्व अपील जानकारी से अंदर मियाद पेश की जा रही है। अपील पेश करने में हुई देरी काबिले माफी है। अतः प्रार्थना पत्र दफा 5 स्वीकार फरमाया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार फरमाई जावे। राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा 22 वर्ष से भी अधिक विलंब से नामान्तरण आदेश को चुनौती दी गई है। अपीलांट को उक्त नामान्तरण की पूर्व से जानकारी थी। अतः अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता अपीलांट्स एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। प्रा0पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा अपील जानकारी से अंदर मियाद पेश की गई है। डिले कन्डोन किया जाकर अपील की सुनवाई किया जाना न्यायोचित है। अतः धारा 5 कानून मियाद [illegible] जाता है।
4. तत्पश्चात मूल नामान्तरण अपील पर उभयपक्ष [illegible] बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांटस ने अपील में मीमो में अंकित तथ्यों [illegible] कथन किया कि ग्राम कोलेश्वर कलां में आराजी खसरा नंबर 27/42 [illegible] चक भूमि स्थित [illegible] उक्त भूमि में से 0.25है. भूमि विधिवत रूप से आवंटन कमेटी द्वारा अपीलांट को दिनांक [illegible]000 को आवंटन की गई थी। आवंटन के पश्चात से ही आवंटनशुदा भूमि पर अपीलांट का कब्जा चला आ रहा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.01.08 12:38:39 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

है परन्तु पटवारी हल्का ने नामान्तरण सं0 77 आवंटन आदेश दिनांक 13.6.2000 के आधार पर नामान्तरण खोला गया है जिसमें पटवारी ने गलती से जयराम की जगह राजाराम अंकित कर दिया तथा भू अभिलेख निरीक्षक ने भी रिपोर्ट कर दी तथा इसी आधार पर तहसीलदार ने नामान्तरण तस्दीक कर दिया। जबकि आंवटन जयराम पुत्र रामकिशन गुर्जर के नाम किया गया है। परन्तु पटवारी ने आंवटन आदेश का अवलोकन ही नहीं किया जबकि आंवटन जयराम पुत्र रामकिशन के नाम हुआ है परन्तु पटवारी हल्का ने अवैधानिक रूप से आंवटन आदेश का अवलोकन किये बगैर ही नामान्तरण भर कर तहसीलदार को पेश किया जो तहसीलदार द्वारा दिनांक 28.12.2001 को तस्दीक किया गया है जो कतई अवैधानिक है व रिकार्ड के विपरीत है। अपीलान्ट राजस्व रिकार्ड से अनभिज्ञ है जिसको राजस्व रिकार्ड के संबंध में जानकारी करने की आवश्यकता ही नहीं पडी और न ही तहसीलदार ने नामान्तरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई सुनवाई का मौका ही दिया। अब दिनांक 02–01–2024 को पटवारी हल्का से वर्तमान राजस्व जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तब अपीलान्ट को जानकारी हुई कि पटवारी हल्का द्वारा जो नामान्तरण खोला गया है उसमे जयराम पुत्र रामकिशन की जगह राजाराम पुत्र रामकिशन अंकित हो रहा है। इस पर अपीलान्ट ने दिनांक 04–01–24 को जेर अपील नामान्तरण की नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी नकलदिनांक 09–01–2024 को प्राप्त हुई इसलिए उक्त अवैधानिक नामान्तरण के विरूद्ध अपील पेश की जा रही है। अधीनस्थ तहसीलदार का नामान्तरण व आदेश खिलाफ कानून नियम उप नियम पत्रावली तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट को खसरा नंबर 27/426 में से 0.25 है0 भूमि दिनांक 13.06.2000 को आंवटन की गई है परन्तु न तो पटवारी हल्का ने आंवटन आदेश का अवलोकन ही किया और न ही उस पर कोई विचार किया बल्कि गलती से राजाराम पुत्र रामकिशन के नाम नामान्तरण तस्दीक करने का अवैध आदेश पारित किया है। जबकि राजाराम को कोई भूमि आंवटित ही नहीं हुई। इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ तहसीलदार व पटवारी हल्का ने आंवटन आदेश का अवलोकन ही नहीं किया। इसलिए उक्त आंवटन आदेश प्रथम स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। आराजी खसरा नंबर 27/426 पर आंवटन के पश्चात से ही अपीलान्ट काबिज है व मौके पर आज रोज काबिज है, तथा आंवटन भी अपीलान्ट के हक में हुआ है परन्तु पटवारी ने महज भूलवश जयराम की जगह राजाराम नामान्तरण में अंकित कर दिया जो निरस्तनीय है। लदार ने नामान्तरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई सुनवाई का अवसर ही नहीं दिया तथा बिना सुनवाई आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के प्रतिकूल एवं आंवटन आदेश के विपरीत होने के कारण भी उक्त नामान्तरण अवैधानिक होने के कारण निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ तहसीलदार दौसा का नामान्तरण सं0 77 दिनांक 28.12.2001 निरस्त फरमाते हुए तहसीलदार दौसा को इस निर्देश के साथ रिमांड किया जावे कि आवंटन आदेश दिनांक 13.6.2000 की पालना में अपीलांट जयराम पुत्र रामकिशन के नाम नामान्तरण पुनः तस्दीक करें।

5. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार दौसा द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तरण सं0 77 दिनांक 28.12.2001 में सहवन से अपीलांट का नाम जयराम पुत्र रामकिशन के स्थान पर राजाराम पुत्र रामकिशन दर्ज हो [illegible] ऐसी स्थिति में अपीलांट को स्वयं को ध्यान में रखकर उक्त कार्यवाही नामांतरण तस्दीक होने से पूर्व में ही करवानी चाहिए थी साथ ही प्रकरण अधिक देरी के [illegible] अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त फरमाई जावे।

6. हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया [illegible] पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. हमारे समक्ष आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत है जिसमें आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 13.6.2000 को तीतरवाडा कलां में कमेटी की बैठक में प्रार्थी जयराम पुत्र रामकिशन उम्र 34

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.01.08 12:38:39 IST
Reason: SelfAttested

Web Copy - Not Official

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

साल जाति गुर्जर निवासी ग्राम कालेश्वर में भूमि खसरा नंबर 27/426 रकबा 0.25 हैं को आवंटन किये जाने की सिफारिश की गई है जिस पर परगना अधिकारी द्वारा अपना निर्णय पारित किया जाकर आवंटन किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसके उपरांत नामान्तरण सं0 77 खोला गया जिसकी प्रविष्टि इस प्रकार है:—

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रविष्टि की क्र. सं.	वर्तमान जमाबंदी खतौनी में शुद्धि किये जाने के लिए प्रस्तावित प्रविष्टि						जमाबंदी में प्रतिस्थापित किये जाने के लिए प्रविष्टि						विक्रय की दशा में कीमत सही रजिस्ट्रीकरण का स्वरूप तथा तारीख तथा बंधक की दशा में बधक ऋण की बकाया मय रजिस्ट्रीकरण की तारीख या मोचन की तारीख उदग्रहित नामान्तरण फीस 14	संवत तथा ढाल बांछ की कम सं0 जिस पर मांग नियम की गई है 15	टिप्पणियां कब्जर आदि के बारे में स्थल जांच से संबंधित पटवारियों की रिपोर्ट और प्रविष्टियों में अभिलेख तथा प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार त्रुटियों से संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट 16
1	जमाबंदी में जोतों की सं. 2	खसरा नंबर 3	क्षेत्रफल 4	मृदा(भूमि का वर्गीकरण) 5	राजस्व या लगान 6	विशिष्टियों सहित काश्तकार का नाम 7	नयी जोत सं. 8	विशिष्टियों सहित काश्तकार का नाम 9	खसरा नंबर 10	क्षेत्रफल 11	मृदा(भूमि का वर्गीकरण 12	राजस्व या लगान 13	मुताबिक आवंटन दिनांक 13.6. 2000	10—	आवंटन होने पर आवंटी के नाम गैर खातेदारी नामान्तरण दर्ज कर सेवामें पेश है। ह0 पटवारी 28.12.01
77	1	27/426	2.35	बंजड	—	सिवाय चक लगानी	46/2062	राजाराम पुत्र रामकिशन कौम गूजर सा. देह गैर खातेदार	27/426	0.025	बारानी	1.13			

8. अतः हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 13.6.2000 को खसरा 27/426 ग्राम कालेश्वर कलां में 0.25 भूमि जयराम पुत्र रामकिशन के नाम आवंटित की गई थी, एवं जब नामान्तरण खोला गया तब नाम राजाराम पुत्र रामकिशन अंकित कर दिया गया। पत्रावली में संलग्न अपीलांट के आधार कार्ड के अवलोकन से भी यह प्रमाणित होता है कि अपीलांट का नाम जयराम पुत्र रामकिशन गुर्जर अंकित है। हम प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा सीधे कोई कार्यवाही नहीं करते हुए न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.01.08 12:38:39 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 77 वाके ग्राम कोलेश्वर कलां पर तहसीलदार दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.12.2001 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस आशय से हाल तहसीलदार सैंथल को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों एवं अपीलांट द्वारा उठाई गई आपत्तियों की जॉच करते हुए पक्षकारान को साक्ष्य/सुनवाई का अवसर प्रदान कर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। साथ ही इस आदेश के साथ आवंटन आदेश की प्रति भी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। अपीलांट दिनांक 03.01.2025 को न्यायालय तहसीलदार सैंथल के समक्ष उपस्थित होकर अपने दस्तावेज व साक्ष्य प्रस्तुत करें जिस पर तहसीलदार सैंथल द्वारा 30 दिवस के अंतर्गत अपना आदेश पारित किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

Devendra

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 04 दिसंबर, 2024 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Devendra

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.01.08 12:38:39 IST
Reason: SelfAttested